राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	846/2025 नाथूलाल बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र बाद वाद वादी विड्रा के आधार पर ख़ारिज किये जाने का पेश किया, जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गयी। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की बहस हेतु दिनांक 09/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद वादी विड्रा के आधार पर ख़ारिज किये जाने का पेश किया, जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिनांक 08/01/2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद वादी विड्रा के आधार पर ख़ारिज किये जाने एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर ख़ारिज किये जाते है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम चौप, पटवार हल्का चौप, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1415 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1416 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1417 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422 रकबा 1.0188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.8923 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.4558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.1984 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 5.9253 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21(राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से-अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूलाल बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर दोनों पक्षों की मौखिक बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर एवं अपूर्ण पारित किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025 को यथावत रखा जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	